



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-02032026-270623
CG-TL-E-02032026-270623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1061]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2026/फाल्गुन 11, 1947

No. 1061]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947

रेल मंत्रालय (दक्षिण मध्य रेलवे) अधिसूचना

सिकंदराबाद, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 1113(अ).— जहाँकि भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 4908(अ), दिनांक 27.10.2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 28.10.2025 में प्रकाशित की गई (जिसे आगे "उक्त अधिसूचना" कहा गया है) तथा यह अधिसूचना रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई, जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरु ज़िले के डेंडुलूरु मंडल के कोठागुडेम ग्राम में कि.मी. 501/22-24 पर स्थित समपार संख्या 355 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल के निर्माण हेतु, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा की है।

और जहाँकि उक्त अधिसूचना का एक अंश Deccan Chronicle, Andhra Jyothy तथा Sakshi Daily समाचार पत्रों में दिनांक 02 नवम्बर, 2025 को प्रकाशित किया गया, जिसे इस अधिनियम की धारा 20A की उप-धारा (1) के अंतर्गत, मनोज कुमार, मुख्य इंजीनियर, निर्माण, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद की स्वीकृति प्राप्त थी।

और जहाँकि आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरु ज़िले के डेंडुलूरु मंडल के कोठागुडेम ग्राम के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण) एवं राजस्व मंडल अधिकारी, एलुरु को आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं।

और जहाँकि इस अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई है।

अतः अब, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा घोषणा करती है कि अनुसूची में उल्लिखित भूमि को उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अधिग्रहित किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, यहाँ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरु ज़िले के डेंडुलूर मंडल के कोठागुडेम गाँव में समपार संख्या 355 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल के निर्माण हेतु, यात्री एवं माल परिवहन सुविधा के लिए। किसी विशेष रेलवे परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, संरचनाओं सहित अथवा बिना संरचनाओं के।

गाँव : कोठागुडेम			मंडल : डेंडुलूर				जिला :: एलुरु			
क्रम सं	एसडीआर . के अनुसार सर्वेक्षण	वेबलैंड के अनुसार सर्वेक्षण संख्या	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्रफल एकड़ - सें	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	पट्टेदार एवं भोगकर्ता का नाम	क्षेत्रफल	वृक्ष आदि यदि कोई हो	संरचनाएँ	टिप्पणियाँ
				(सरका / निजी)			एकड़ - सेंट			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	230-B4	230-B	0.66	पट्टा	सरकारी गीली	बेलिवेलु उदय भास्कर राव	0.66	-	-	-
2	230-B2	230-B	0.14	पट्टा	सरकारी गीली	कसानी विजयलक्ष्मी पार्वती	0.14	-	-	-
3	229-1A2	229-1A	0.47	पट्टा	सरकारी गीली	परसा वेंकटेश्वर राव	0.47	-	-	-
4	229-1B2	229-1B	0.18	पट्टा	सरकारी गीली	परसा नागेन्द्र प्रसाद बाबू	0.18	7 - सागौन के वृक्ष	-	-
5	226-2B	226-2A	0.31	पट्टा	सरकारी गीली	चेवोयिना अर्जुन राव	0.31	4 - नारियल के वृक्ष	-	-
6	226-2C	226-2B	0.14	पट्टा	सरकारी गीली	मकीनेडी राम कृष्ण	0.14	सागौन के वृक्ष - 3, नारियल के वृक्ष (4 - छोटे +1 - बड़ा), नीम का वृक्ष - 1	शेड - 1, बोरवेल - 1	-
7	161-1A	161-1	0.02			मकान	0.02	नीम का वृक्ष - 1	शेड (बांस से निर्मित दीवारों सहित)	-
TOTAL							1.92			

[फा. सं. RSP/Gazette/20E/LC.No.355/BZA-VSKP/BZA]
मनोज कुमार, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Central Railway)
NOTIFICATION

Secunderabad, the 24th February, 2026

S.O. 1113(E). — Whereas, by the notification by Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O.No.4908(E). Dated.27.10.2025 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3 Sub section (ii), dated. 28.10.2025 (herein after referred to as said notification) and issued under sub section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No.355 at Km.501/22-24 in Kothagudem Village of Denduluru Mandal in Eluru District, in the state of Andhra Pradesh.

And whereas an extract of this notification was published in the daily newspapers the Deccan Chronical, Andhra Jyothy and Sakshi Daily News paper on 02nd November, 2025 with the approval of Manoj Kumar, Chief Engineer, Construction, Road Safety Projects South Central Railway, Secunderabad, under sub -section (1); Section 20A of this Act.

And Whereas, Competent Authority (LA) & Revenue Divisional Officer, Eluru have objections received for Kothagudem Village of Denduluru Mandal of Eluru District of Andhra Pradesh State.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20(E) of this Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, on receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands mentioned in the Schedule have been annexed to be obtained here for the purpose mentioned above;

Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of this Act, the Central Government, hereby declares on publication of notification in the Official Gazette, that the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No.355 in Kothagudem Village of Denduluru Mandal in Eluru District in the state of Andhra Pradesh jurisdiction for passenger and freight facility. Brief description of land to be acquired with or without structures in a particular railway project.

Village : Kothagudem			Mandal : Denduluru				District :: Eluru			
Sl. No.	Sy.No As per SDR	Sy.No. As per Webland	Area under Acquisition in Acs. cts	Type of land	Nature of Land	Name of the Pattadar & Enjoyer	Extent in	Trees etc., if any	Structures	Remarks
				(Govt. / Pvt.)			Ac. cts.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	230-B4	230-B	0.66	Patta	Govt Wet	Velivelu Udaya Bhaskara Rao	0.66	-	-	-
2	230-B2	230-B	0.14	Patta	Govt Wet	Kasani Vijayalakshmi Parvathi	0.14	-	-	-
3	229-1A2	229-1A	0.47	Patta	Govt Wet	Parasa Venkateswara Rao	0.47	-	-	-
4	229-1B2	229-1B	0.18	Patta	Govt Wet	Parasa Nagendra Prasad Babu	0.18	7 – Teak trees	-	-

5	226-2B	226-2A	0.31	Patta	Govt Wet	Cheboyina Arjuna Rao	0.31	4 – Coconut Trees	-	-
6	226-2C	226-2B	0.14	Patta	Govt Wet	Makineedi Rama Krishna	0.14	Teak Trees-3, Coconut Trees (4- Small + 1-Big) Neem Tree--1	1 Shed, 1 Bore	
7	161-1A	161-1	0.02			Houses	0.02	Neem Tree-1	Shed (constructed walls with bamboos)	-
TOTAL							1.92			

[F. No. RSP/Gazette/20E/LC.No.355/BZA-VSKP/BZA]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP